

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 01, मंगलवार, शाके 1943-मार्च 22, 2022 Chaitra 01, Tuesday, Saka 1943- March 22, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

जयप्र, दिसम्बर 31, 2021

जी.एस.आर.397.- यत: भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना सं. एस. ओ. 152 (ई) दिनांक 10-02-1988, द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या प. 8(1) पर्या./99-पार्ट दिनांक 21.07.2010 में संशोधन का प्रारूप, इसके प्रकाशन की तारीख, जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवायी जायेंगी, से तीस दिन की कालावधि के भीतर उससे संभाव्यत: प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना के लिए और आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था;

और यत: उक्त अधिसूचना की प्रतियां 20 सितम्बर, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और यतः राज्य सरकार को उक्त अधिसूचना पर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना सं. एस. ओ. 152 (ई) दिनांक 10-02-1988, द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2010 से राजस्थान राज्य में, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2010 से राजस्थान राज्य में, समय-समय पर यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और भारतीय मानक, आईएस 17088 2008 के अनुरूप जैव विघटनीय/कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैग को छोड़कर, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.8(1)पर्या./99-पार्ट] राज्यपाल के आदेश से, श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.